भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2388**
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

**पीएम-पोषण के अंतर्गत मध्याह्न भोजन परोसना**

†2388. **श्री वरुण चौधरी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जहां पीएम-पोषण के अंतर्गत मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है और परोसा जाता है;
(ख) देश में ऐसे सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जहां पीएम-पोषण के अंतर्गत मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है और वे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अंतर्गत पंजीकृत हैं; और
(ग) पीएम-पोषण के अंतर्गत मध्याह्न भोजन परोसने वाले सभी स्कूलों के एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत होने की संभावित समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल और स्कूल बोर्ड राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के प्रशासन के अधीन हैं। पीएम पोषण योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई है। बाल वाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, जहां पीएम पोषण योजना के तहत भोजन दिया जाता है, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बेहतर गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र होटल प्रबंधन संस्थानों, खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

**अनुलग्नक**

**"पीएम-पोषण के अंतर्गत मध्याह्न भोजन परोसना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वरुण चौधरी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2388 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्कूलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 43218 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2167 |
| 3 | असम | 43785 |
| 4 | बिहार | 68899 |
| 5 | छत्तीसगढ | 45638 |
| 6 | गोवा | 1216 |
| 7 | गुजरात | 32223 |
| 8 | हरियाणा | 14210 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 14423 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 17954 |
| 11 | झारखंड | 35509 |
| 12 | कर्नाटक | 52425 |
| 13 | केरल | 12021 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 87492 |
| 15 | महाराष्ट्र | 85206 |
| 16 | मणिपुर | 3314 |
| 17 | मेघालय | 11051 |
| 18 | मिजोरम | 2505 |
| 19 | नगालैंड | 1889 |
| 20 | ओडिशा | 50276 |
| 21 | पंजाब | 19557 |
| 22 | राजस्थान | 68239 |
| 23 | सिक्किम | 836 |
| 24 | तमिलनाडु | 45155 |
| 25 | तेलंगाना | 26147 |
| 26 | त्रिपुरा | 4327 |
| 27 | उत्तराखंड | 16273 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 141703 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 81012 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 325 |
| 31 | चंडीगढ़ | 116 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप | 304 |
| 33 | दिल्ली | 2819 |
| 34 | लक्षद्वीप | 27 |
| 35 | लद्दाख | 775 |
| 36 | पुदुचेरी | 427 |

*****